न्यायालय – सेशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी - श्री अरूण कुमार अग्रवाल-1,
R.J.S. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध फौजदारी प्रकरण संख्या	-	1011/2022
एफ.आई.आर.सं.	-	92/2022-23
पुलिस थाना	-	प्रह.आब.निरो.दल बांसवाड़ा
अपराध अन्तर्गत धारा	-	16/54,राज.आब.अधि.
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा		439, दण्ड प्रक्रिया संहिता

लेमजी पुत्र कचरिया, उम्र 55 वर्ष, निवासी भमरवोड, पुलिस थाना भूंगडा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

– प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, बांसवाड़ा (राज.)

- अप्रार्थी

उपस्थित :

अधिवक्ता श्री नारायणलाल मईडा : अभियुक्त की ओर से।

लोक अभियोजक श्री गिरिश डांगर : राज्य की ओर से ।

<u>आदेश</u> **<u>दिनांक 05.12.2022</u>**

1- प्रार्थी/अभियुक्त लेमजी पुत्र कचरिया की ओर से प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 437, द.प्र.सं. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 29.11.2022 को खारिज किए जाने पर उसकी ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439, द.प्र.सं. के तहत इस न्यायालय में पेश किया गया। प्रार्थना पत्र की नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई गई। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई तथा प्रस्तुत केस डायरी मय तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

2- प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी जयशंकर मीणा प्रहराधिकारी आबाकारी निरोधक दल बांसवाड़ा को मय जाप्ता गश्त के दौरान मिली सूचना पर वे भमरवोड में लेमजी के मकान पर पहुंचे जहां से एक व्यक्ति घर से निकला जिसे बहादुरलाल जमादान ने लेमजी पुत्र कचरिया होना बताई जिसका नाम देकर आवाज लगाई लेकिन वह नहीं रूका । रूबरू मौतबिरान लेमजी के कब्जेशुदा मकान की तलाशी लिये जाने पर उसके मकान में एक प्लास्टिक ड्रम पाया जिसे खोलकर देखा सुंघा व सुंघाया तो उसमें करीब 71 बोतल अवैध हथकड शराब महुवे की बनी हुई बरामद हुई ... इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर थाना प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल बांसवाड़ा द्वारा एफ.आई.आर. सं. 92/2022-23 अन्तर्गत धारा 16/54,

राजस्थान आबकारी अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 29.11.2022 को गिरफ्तार किया गया।

3- दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त निर्दोष हैं, उसे प्रकरण में झूठा अन्तर्वलित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 29.11.2022 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त गरीब व्यक्ति है तथा अपने परिवार में एक मात्र कमाने वाला सदस्य है। अभिरक्षा में रहने से उसके परिवार पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। प्रकरण के अन्वेषण एवं विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी /अभियुक्त को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया गया।

4- विद्वान लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5- केस डायरी एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी/ अभियुक्त के विरूद्ध अवैध शराब अपने कब्जे में रखने का आरोप है जो कि मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा अन्वीक्षा योग्य है। प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 29.11.2022 से अभिरक्षा में चला आ रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध यद्यपि 05 अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकित किया गया है लेकिन इनमें से 02 प्रकरणों का निस्तारण होना बताया गया है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः मामले के तमाम तथ्यों-परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित व न्यायसंगत पाया जाता है।

6- फलतः प्रार्थी/अभियुक्त लेमजी पुत्र कचरिया की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439, द.प्र.सं. स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद, न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जावे उपस्थिति हेतु 25-25 हजार रूपये की दो जमानतें एवं 50 हजार रूपये का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवें तथा उसकी अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे इस प्रकरण में तुरन्त जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(अरूण कुमार अग्रवाल-1)
सेशन न्यायाधीश,
बांसवाड़ा

7-आदेश आज दिनांक 05.12.2022 को लिखाया जाकर सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(अरूण कुमार अग्रवाल-1)
सेशन न्यायाधीश,
बांसवाड़ा